ykd vnkyr e fujk—r flfoy ekeyk e U;k;ky; Qhl dh okfilh d lc/k e fof/kd fLFkfr &

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अनुसार लोक अदालत से सिविल मामला निपटने पर दी गई संपूर्ण न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 16 के अनुसार वापस की जायेगी।

Jh je'kpn fo:) e/;in'k jkT; ,o vU; ¼**W.P. No. 7282/10) ILR(2012) MP320** निर्णय द्वारा 01–11–2011 (खण्डपीठ) में प्रतिपादित सिद्धांत –

- जब कोई मामला सिविल प्रक्रिया 1908 की धारा 89 के अधीन निर्दिष्ट विवाद के निपटारे के ढंगों में से किसी ढंग से निपटा हो।
- तब वादी न्यायालय में दी गई फीस की पूरी रकम वापस प्राप्त कर सकता है।
- इसके लिए उसे न्यायालय से फीस वापिसी का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
- यह प्रमाण पत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने पर फीस की वापिसी कलेक्टर द्वारा की जायेगी।
- न्यायालय फीस की वापसी न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 16 के अनुसार की जायेगी।

Jh nkeknj ,l- iHk fo:) l;n ckckyky ,p- **(2010) 5 SCC 663** *d okn e lokPp U;k;ky; }kjk fuEu fyf[kr ekin.M fu/kkfjr fd; x; Fk fd &*

निगोशिएवल इन्सटुमेंट एक्ट की धारा 138 के अधीन चेक बाउंस प्रकरण इसी अधिनियम की धारा– 147 के अधीन समझौता योग्य है।

1. मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर, प्रथम या द्वितीय सुनवाई पर – कोई कॉस्ट नहीं
2. मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर – चेक राशि का 10 प्रतिशत
3. जिला एवं उच्च न्यायालय स्तर पर – चेक राशि का 15 प्रतिशत
4. सर्वोच्च न्यायालय स्तर – चेक राशि का 20 प्रतिशत

lokPp U;k;ky; }kjk o"k 2014 e iurhd tu] flfoy vihy ucj 8614@2014 d ckn e ;g fu.khr fd;k x;k g fd & यदि चेक बाउंस के प्रकरणों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कराया जाता है, वहां न्यायालय पक्षकारों के मध्य सकारात्मक सोच के कारण हुये समझौते में, यदि उचित समझे तो उपरोक्त कॉस्ट राशि को मामले की परिस्थितियों के अनुसार कम या माफ कर सकती है।

***